

~~समस्त~~  
 KGBV विद्यालय  
 का तालिका सूचीकरण 2226  
 15/11/18

**राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद**

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजीव गांधी विद्या भवन, अयाहर लाल नहर मार्ग, जयपुर-302017  
 दूरभाष 0141-2709846, E-mail girls@stels.rosea@gmail.com  
 दिनांक 15/11/2018

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
 पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
 समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले

विषय:- KGBV Type-I, III and IV में सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श की जानकारी देने हेतु "कोमल" फिल्म दिखाने बाबत।

संदर्भ:- सहायक शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक प 24/2018 शिक्षा-6/2017 दिनांक 13.11.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि KGBV Type-I, III and IV में अध्ययनरत बालिकाओं को सुरक्षित व असुरक्षित स्पर्श (Good Touch and Bad Touch) की जानकारी देना हेतु "कोमल" फिल्म को दिखाया जाना अपेक्षित है। अतः आप समस्त KGBV Type-I, III and IV के संस्थापकों को निर्देशित करें कि यूट्यूब या अन्य किसी तकनीकी पवार से कोमल फिल्म का डाउनलोड कर प्राथमिक व माध्यम से यह फिल्म दिखाया जाना सुनिश्चित करें।

संदर्भ:- उपरोक्तानुसार

www.rajteachers.com

(रामनिवास जाट)  
 अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-1 एवं 2, रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
3. उपायुक्त (बाशि) रा.स्कूल शि.प., जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को भ्रजकर लक्ष्य है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
5. संश्लेष पत्र प्रेषण।

कार्यालय अति. जिला परियोजना समन्वयक, बांरा उपायुक्त (बाशि)  
 क्रमांक - 2011 दिनांक - 16/11/18  
 समस्त मांडल सत्यापन KGBV-I, III, IV को उक्त पत्र प्रेषित करवावे।  
 उक्त दिशा निर्देश को पालना सुनिश्चित करवावे सूचना अचो (ला) अक्षर कर्ता को प्रेषित करें।

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक  
 बांरा

DC-VT

②

13/11/18

DD/AD (1)  
14/11/18

राजस्थान सरकार,  
शिक्षा (गुप-8) विभाग

क्रमांक पं. 24(21)शिक्षा-8/2017

ज.पुर. दिनांक-13/11/18

1. निदेशक,  
प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।
2. निदेशक,  
संस्कृत शिक्षा,  
राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक,  
समग्र शिक्षा अभियान एवं  
अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल  
शिक्षा परिषद, जयपुर।

विषय:- पोक्सो इ बॉक्स एवं सुरक्षित व अपुरक्षित स्पर्श की जानकारी  
के लिए कोमल फिल्म शासकीय विद्यालयों में दिखाने की  
अनुमति बाबत।

सन्दर्भ:- सदस्य सचिव, राजस्थान राज. बाल अधिकार संरक्षण आयोग  
का पत्र क्रमांक-एफ 19( ) बाल आयोग/RTE/18-19/  
5214 दिनांक 26.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र की प्रति मय संलग्नकों के संलग्न  
में संलग्न है कि कोमल फिल्म को सभी शासकीय विद्यालयों में दिखाने हेतु आवश्यक  
कार्यवाही कराने की व्यवस्था करावें।


आपका उपरोक्तानुसार।

www.rajteachers.com

13/11/18

भवदीय,

सहायक शासन सचिव



13/11/18